

हरियाणा सरकार
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग
अधिसूचना

दिनांक 27 अक्टूबर, 2005

संख्या सी0 सी0 पी0 (एन0 सी0 आर0) ई0डब्ल्यू0/जी0 जी0 एन0/23/सी0ए0/बी0/2005/1678.— पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 4 उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट और इससे संलग्न योजना में दर्शाये गये, गांव मुबारिकपुर जिला गुडगांव के माता बुद्धो के इर्द गिर्द दो किलोमीटर के भीतर के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये नियन्त्रित क्षेत्र घोषित करते हैं, अर्थात् :-

अनुसूची

गांव मुबारिकपुर (हदबस्त संख्या 37), जिला गुडगांव के माता बुद्धो के इर्द गिर्द नियन्त्रित क्षेत्र की सीमाओं की अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी0टी0पी0 (जी) 1396/2005, दिनांक 16 जून, 2005, के साथ पढ़ा जाये।

उत्तर: बिन्दु 'ए' अर्थात् गांव मुबारिकपुर (हदबस्त संख्या 37), की आयत संख्या 84 के उत्तर-पूर्व कोने से शुरु करते हुए दक्षिण की ओर गांव मुबारिकपुर (हदबस्त संख्या 37) की आयत संख्या 84 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ इसके दक्षिण-पूर्व कोने तक, इसके बाद पूर्व की ओर गांव मुबारिकपुर (हदबस्त संख्या 37) की आयत संख्या 87 की उत्तरी पूर्वी सीमा के साथ-साथ इसके उत्तर-पूर्व कोने तक, फिर दक्षिण की ओर गांव मुबारिकपुर (हदबस्त संख्या 37) की आयत संख्या 87 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ इसके दक्षिण-पूर्व कोने तक, इसके बाद पूर्व की ओर गांव मुबारिकपुर (हदबस्त संख्या 37) की आयत संख्या 99 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ इसके उत्तर-पूर्व कोने तक, फिर दक्षिण की ओर गांव मुबारिकपुर (हदबस्त संख्या 37) की आयत संख्या 99 तथा 105 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ गांव मुबारिकपुर (हदबस्त संख्या 37) की आयत संख्या 105 के दक्षिण-पूर्व कोने तक, फिर पूर्व की ओर गांव मुबारिकपुर (हदबस्त संख्या 37) की आयत संख्या 117, 116, 115, 114, 113 तथा 112 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ उस बिन्दु तक जहां यह गांव सुलतानपुर (हदबस्त संख्या 39) की राजस्व सीमा से मिलती है, फिर उत्तर की ओर गांव सुलतानपुर (हदबस्त संख्या 39) की राजस्व सीमा के साथ-साथ गांव सुलतानपुर (हदबस्त संख्या 39) की आयत संख्या 71 के उत्तर-पश्चिम कोने तक, फिर पूर्व की ओर गांव सुलतानपुर (हदबस्त संख्या 39) की आयत संख्या 71, 72 तथा 73 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'बी' तक, जोकि इसी गांव की आयत संख्या 73 का उत्तर-पूर्व कोना है।

पूर्व: तत्पश्चात् दक्षिण की ओर बिन्दु 'बी' से गांव सुलतानपुर (हदबस्त संख्या 39) की आयत संख्या 73, 102 तथा 107 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'सी' अर्थात् गांव सुलतानपुर (हदबस्त संख्या 39) की आयत संख्या 107 के दक्षिण-पूर्व कोने तक।

दक्षिणी: तत्पश्चात् पश्चिम की ओर बिन्दु 'सी' से गांव सुलतानपुर (हदबस्त संख्या 39) की आयत संख्या 107, 106 तथा 105 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ उस बिन्दु तक जहां यह गांव मुबारिकपुर (हदबस्त संख्या 37) की राजस्व सीमा से मिलती है, फिर दक्षिण की ओर गांव मुबारिकपुर (हदबस्त संख्या 37) की राजस्व सीमा के साथ-साथ गांव मुबारिकपुर (हदबस्त संख्या 37) की आयत संख्या 132 के उत्तर-पूर्व कोने तक, फिर पश्चिम की ओर गांव मुबारिकपुर (हदबस्त संख्या 37) की आयत संख्या 127 तथा 128 की दक्षिण सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'डी' तक, जहां यह गांव फरुख नगर (हदबस्त संख्या 35) की राजस्व सीमा से मिलती है।

पश्चिम: तत्पश्चात् उत्तर की ओर बिन्दु 'डी' से गांव फरुख नगर (हदबस्त संख्या 35) की राजस्व सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'ए' तक, जोकि प्रारम्भ का बिन्दु है।

शकुन्तला जाखू,
वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
Notification

The 27th October, 2005

No. CCP (NCR)/EW/GGN/23/CA/B/2005/1678.- In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section-4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act. 1963 (Punjab Act. 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby declares the area within a distance of two kilometres around Mata Budho Mandir of Village Mubarikpur, District Gurgaon as specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto, to be a controlled area for the purpose of the said Act, namely :-

Schedule

Schedule of boundaries of the controlled area around Mata Budho Mandir of Village Mubarikpur (Hadbast No. 37), District Gurgaon to be read with Drawing No. DTP (G) 1396/2005, dated the 16th June, 2005.

North: Starting from point 'A' i.e. North-East corner of rectangle No. 84 of Village Mubarikpur (Hadbast No. 37), towards South along Eastern boundary of rectangle No. 84 of Village Mubarikpur (Hadbast No. 37) upto its South-East corner, thence towards East along Northern boundary of rectangle No. 87 of Village Mubarikpur (Hadbast No. 37) upto its North-East corner, thence towards South along Eastern boundary of rectangle No. 87 of Village Mubarikpur (Hadbast No. 37) upto its South-East corner, thence towards East along Northern boundary of rectangle No. 99 of Village Mubarikpur (Hadbast No. 37) upto its North-East corner, thence towards South along Eastern boundary of rectangle Nos. 99 and 105 of Village Mubarikpur (Hadbast No. 37) upto South-East corner of rectangle No. 105 of Village Mubarikpur (Hadbast No. 37), thence towards East along Northern boundaries of rectangle Nos. 117, 116, 115, 114, 113 and 112 of Village Mubarikpur (Hadbast No. 37) upto the point where it meets the revenue boundary of Village Sultanpur (Hadbast No. 39), thence towards North along the revenue boundary of Village Sultanpur (Hadbast No. 39) upto North-West corner of rectangle No. 71 of Village Sultanpur (Hadbast No. 39), thence towards East along Northern boundary of rectangle Nos. 71, 72 and 73 of Village Sultanpur (Hadbast No. 39) upto point 'B' i.e. the North-East corner of rectangle No. 73 of same Village.

East: Thence from point 'B' towards South along Eastern boundaries of rectangle Nos. 73, 102 and 107 of Village Sultanpur (Hadbast No. 39) upto point 'C' i.e. South-East corner of rectangle No. 107 of Village Sultanpur (Hadbast No. 39).

South: Thence from point 'C' towards West along Southern revenue boundary of rectangle Nos. 107, 106 and 105 of Village Sultanpur (Hadbast No. 39) upto the point where it meets the revenue boundary of Village Mubarikpur (Hadbast No. 37), thence towards South along the revenue boundary of Village Mubarikpur (Hadbast No. 37), upto the North-East corner of rectangle No. 132 of village Mubarikpur (Hadbast No. 37), thence towards West along Southern boundary of rectangle Nos. 127 and 128 of Village Mubarikpur (Hadbast No. 37) upto point 'D' where it meets the revenue boundary of Village Farukh Nagar (Hadbast No. 35).

West: Thence from point 'D' towards North along the revenue boundary of Village Farukhnagar (Hadbast No. 35) upto point 'A' i.e. the point of start.

SHAKUNTLA JAKHU,
Financial Commissioner and Principal Secretary to Government
Haryana, Town and Country Planning Department.